

## नोटिस

न्यायालय विधुत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़।

पत्रांक: २०५ / वि०उप०व्य०नि०फो०आ० / २०२०

दिनांक 29/09/2020

श्री फूलचन्द मौर्या पुत्र स्व० शिवबरन मौर्या, ग्राम-कोठिहार, पोस्ट-ओरा,  
जनपद-आजमगढ़।.....परिवादी

### बनाम

अधिशासी अभियन्ता, विधुत वितरण खण्ड (तृतीय), लालगंज, आजमगढ़।.....

### विपक्षी

परिवादी (श्री फूलचन्द मौर्या पुत्र स्व० शिवबरन मौर्या) आपको एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके प्रार्थनापत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप स्वयं या किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा इस फोरम में दिनांक 03.10.2020 को उपस्थित होकर अपना साक्ष्य सहित लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

विपक्षीगण (अधिशासी अभियन्ता, विधुत वितरण खण्ड-(तृतीय), लालगंज, आजमगढ़।) को इस संबंध में विधुत शिकायत के संबंध में स्वयं या किसी विज्ञ अधिवक्ता द्वारा इस फोरम में दिनांक 03.10.2020 को पूर्वाचल विधुत वितरण निगम लिमिटेड, की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 29.09.2020 न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

संलग्नक:- परिवाद-पत्र की फोटो कापी

दिनांक: 29.09.2020

०१८



विधुत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम,  
आजमगढ़ (उ०प्र०)।

नोटिस भालू किया

प्रचेता बालै फूलचन्द  
(परिवाद)

29/09/2020

✓  
(विवर)